विधायक राजेंद्र भारती को जेल के बाद बेल

- राजेंद्र भारती को मिली थी 3 साल की सजा
- 27 साल पुराने जालसाजी मामले में कोर्ट का फैसला

ग्वालियर, 02 अप्रैल. दिल्ली की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को साल 1998 के एक एफडी में हेराफेरी मामले को लेकर दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है, हालांकि सजा के तुरंत बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है.

यह पूरा मामला उस समय का है जब भारती जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष थे और उन पर अपने पिता के संस्थान के नाम पर कराई गई 10 लाख की एफडी के ब्याज को फर्जी दस्तावेजों के जरिए निकालने का आरोप सिद्ध हुआ है.

अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश (120क्र) और धोखाधड़ी (420, 467, 468, 471) जैसी गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जिसमें उनके साथ बैंक लिपिक रघुवीर प्रजापति को भी दोषी माना गया है.

नियमत: दो साल से अधिक की सजा होने के कारण भारती की विधानसभा सदस्यता पर अब खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन यदि वे अगले 60 दिनों के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सजा पर स्थगन प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी विधायकी सुरक्षित रह सकती है. 3 मार्च 2011 को बैंक अध्यक्ष बने भाजपा नेता पप्पू पुजारी मामले को सामने लाए. सहकारिता विभाग के तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अभयखरे ने जांच की, जिसमें एफडी पर ऑडिट आपत्ति दर्ज हुई. 2012 में भारती ने बैंक से एफडी की राशि मांगी, लेकिन ऑडिट आपत्ति के चलते भुगतान से इनकार किया गया.

भुगतान न मिलने पर भारती उपभोक्ता फोरम पहुंचे, जहां से राहत नहीं मिली. राज्य उपभोक्ता फोरम से राहत मिलने के बाद मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से भी राहत नहीं मिली. इसके बाद 2015 में तत्कालीन कलेक्टर प्रकाशचंद्र जांगड़े ने आपराधिक मामला दर्ज कराने की पहल की. कोर्ट के आदेश पर आईपीसी की अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ. एमपी-एमएलए कोर्ट गठन के बाद मामला ग्वालियर पहुंचा और अक्टूबर 2025 में इसे दिल्ली एमपी-एमएलए कोर्ट स्थानांतरित किया गया.

विधायक संजय पाठक के खिलाफ दर्ज किया जाए अपराधिक अवमानना का प्रकरण : हाईकोर्ट

जबलपुर, 02 अप्रैल. हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के मामले में भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक की मुश्किल बढ गयी हैं. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने दायर याचिका की सुनवाई करते हुए विधायक संजय पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने के आदेश जारी किये हैं.

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया. जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अलग कर रहे है. जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था.

याचिका में कहा गया था कि विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. इस संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी. उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. याचिका में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्यवाही की मांग चाही गयी थी. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती ने पैरवी की.

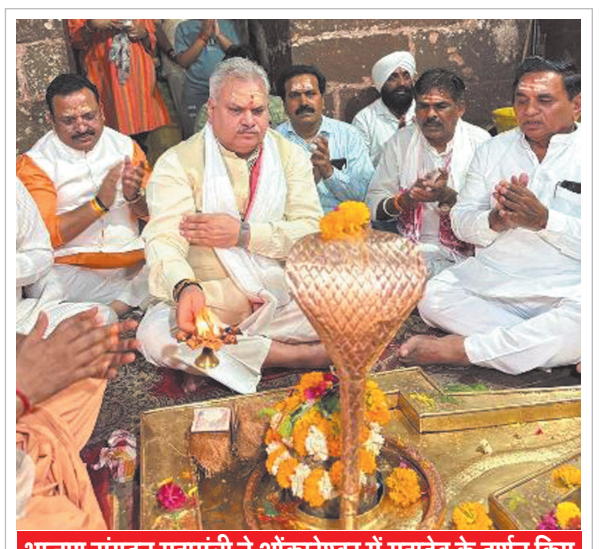

भाजपा संगठन महामंत्री ने ओंकारेश्वर में महादेव के दर्शन किए

ओंकारेश्वर. भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने गुरुवार को ओंकारेश्वर में भगवान महादेव जी के दर्शन-पूजन कर देश-प्रदेश में खुशहाली और कल्याण की कामना की. इस अवसर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शर्मा सहित जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

नशे की हालत में मिलने पर शिक्षक सस्पेंड

सिंगरौली. शासकीय प्राथमिक पाठशाला मझौली टोला मझिगवां 2 में पदस्थ शिक्षक लखपति सिंह को कलेक्टर गौरव बैनल के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह ने निलंबित कर दिया है. टोला मझिगवां-2 के शिक्षक लखपति सिंह का एक वीडियों सोशल मीडिया में पिछले माह 18 मार्च को वायरल हुआ था. कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच किया, जहां शिक्षक शराब के नशे के हालत में था. शराब इतना पिया हुआ था कि वह ठीक से बोल नही पा रहा था. स्कूली बच्चों एवं अभिभावको से अभद्र भाषाओं का उपयोग कर रहा था. जिससे अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था. जांच के बाद जवाब न मिलने पर डीईओ ने शिक्षक को निलंबित कर दिया.

ओबीसी आरक्षण मामले में 27 से नियमित सुनवाई

जबलपुर. मप्र में 27 प्रश ओबीसी आरक्षण के संबंधित दायर याचिकाओं पर 27 अप्रैल से तीन दिनों तक नियमित सुनवाई होगी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने सभी संबंधित पक्षकारों को नियमित सुनवाई के तीन दिन पूर्व तक दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं. प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 27 प्रश किये जाने के पक्ष तथा विपक्ष में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कुछ याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ओबीसी वर्ग को 27 प्रश आरक्षण दिये जाने पर रोक लगा दी थी. विपक्ष में दायर याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी तथा मराठा आरक्षण के संबंध में दायर याचिकाओं में स्पष्ट कहा गया है कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रश से अधिक नहीं होने चाहिये. कुछ याचिकाओं में याचिकाओं में फार्मूला 87:13 को चुनौती देते हुए 13 प्रतिशत होल्ड पदों पर आपत्ति की गयी थी. पक्ष में दायर की याचिकाओं में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की गयी थी. याचिकाओं पर पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में दायर एसएलपी को मप्र हाईकोर्ट वापस भेजते हुए सुनवाई के निर्देश दिये थे.

पूर्व प्रबंधक और सहयोगी को सजा

सीबीआई की अदालत ने पीयूष और मोहन को सात साल की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल. मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के पूर्व वरिष्ठ शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने जेल की सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों-पीयूष चतुर्वेदी (जो उस समय बीओआई की मिसरोद शाखा, भोपाल के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक थे) और मोहन सिंह सोलंकी (एक निजी व्यक्ति) पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

आरोपियों ने किया था रकम का गबन

ऋण मंजूर करने के बाद चतुर्वेदी ने अपने सह-आरोपी मोहन सिंह सोलंकी के साथ मिलकर साजिश रची और ऋण की रकम एम/एस अजब कुमार इंडस्ट्रीज के खाते में स्थानांतरित कर दी. इस कंपनी की मालिक कृष्णा बाई सोलंकी (मोहन सिंह सोलंकी की पत्नी) थीं. इसके बाद आरोपियों ने उस रकम का गबन कर लिया, जिससे बैंक को गलत तरीके से नुकसान हुआ और उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचा. सीबीआई ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया. अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई.

सीबीआई ने 2016 में बीओआई के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के तत्कालीन उप क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दायर एक लिखित शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था. आरोप था कि पीयूष चतुर्वेदी ने धोखाधड़ी और बेईमानी से 'विजन कम्प्यूटर' के नाम पर 27 लाख रुपये का सावधि ऋण मंजूर किया था.

रसोई गैस की किल्लत नहीं अव्यवस्था से जूझ रही जनता

छिन्दवाड़ा, 2 अप्रैल. मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं जिले के पूर्व सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा पहुंचे. ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प गुच्छ व पुष्पहार भेंट कर आत्मीय स्वागत किया. ईमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मीडिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ से रसोई गैस की किल्लत पर प्रश्न किया. प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कोई किल्लत नहीं है. जिले, प्रदेश व देश की जनता सरकार द्वारा उत्पन्न की गई अव्यवस्थाओं का शिकार हो रही। इस अव्यवस्था के लिए सरकार जिम्मेदार है.

कपूर त्रिपाठी को स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट से राहत

सिंगरौली, 02 अप्रैल. मोरवा थाने के पूर्व प्रभारी कार्यवाहक निरीक्षक कपूर त्रिपाठी को उनके स्थानांतरण मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है. त्रिपाठी ने पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के खिलाफ 28 मार्च 26 को रिट पिटीशन दायर की थी.

मामले की सुनवाई 2 अप्रैल को सिंगल बेंच में न्यायाधीश मनिंदर एस. भाटी द्वारा की गई, जहां उन्हें राहत प्रदान की गई. वहीं, प्रकरण की अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को निर्धारित की गई है.

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता कपूर त्रिपाठी की ओर से सीनियर एडवोकेट के.सी. घिल्डियाल के मार्गदर्शन में अधिवक्ता ब्रमेंद्र पाठक, आतिश यादव, राममिलन साकेत सहित अन्य ने पक्ष रखा. अधिवक्ता आतिश कुमार यादव के अनुसार, न्यायालय से स्टे मिलने के बाद कपूर त्रिपाठी के दोबारा मोरवा थाना का प्रभार संभालने की

स्थिति बन गई है.

वहीं, आदेश की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने के लिए उनके अधिवक्ता प्रक्रिया में लगे हुए हैं. गौरतलब है कि कपूर त्रिपाठी को मोरवा थाना प्रभारी पद से करीब ढाई महीने के भीतर ही हटा दिया गया था. और उनका स्थानांतरण मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भौंरी (भोपाल) किया गया था, जिसे उन्होंने बिना पर्याप्त कारण बताते हुए न्यायालय में चुनौती दी थी. अब इस मामले में 8 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

3 फीसदी डीए बढ़ाने के आदेश भी जारी

शासकीय सेवकों को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी दिया जाएगा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 2 अप्रैल. वित्त विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के शासकीय सेवकों के 3 फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं. अब तक शासकीय सेवकों को 55 फीसदी डीए दिया जा रहा था, अब ये बढ़कर 58 फीसदी हो गया है. आदेश के मुताबिक तीन फीसदी की बढ़ोतरी एक जुलाई 2025 की अवधि से लागू होगी. प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक अप्रैल 2026 से बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा, यानी अप्रैल का वेतन जो कि मई में देय होगा, उसमें तीन फीसदी डीए बढ़कर मिलेगा. वहीं एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर 6 समान किश्तों में मिलेगा. ये क्रमश: मई से लेकर अक्टूबर तक लगातार मिलते रहेगा. ऐसे शासकीय सेवक जो कि एक जुलाई 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक की अवधि में रिटायर हुए हैं या मृत हो गए हैं, ऐसे मामलों में उन्हें या नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा. तीन फीसदी डीए का फायदा प्रदेश के 7.5 लाख से अधिक शासकीय सेवकों को मिलेगा.

पेंशनरों को डीआर के भी आदेश जारी

वित्त विभाग ने गुरुवार को पेंशनरों को भी मंहगाई राहत देने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के पेंशनरों को एक जनवरी 2026 से बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा. सातवें वेतनमान वालों का मंहगाई राहत अब 3 फीसदी बढ़ गया है, इससे अब डीआर 55 से बढ़कर 58 फीसदी हो गया है. वहीं छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों के डीआर में 5 फीसदी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण अब ये 252 से बढ़कर 257 फीसदी हो गया है. इस आदेश से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख पेंशनरों को फायदा होगा.

तहसीलदार को प्रशासन ने किया सस्पेंड

- श्योपुर कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर की कार्रवाई
- बाढ़ राहत घोटाला मामले में हुई थी गिरफ्तार

ग्वालियर, 02 अप्रैल. बाढ़ राहत घोटाले में गिरफ्तार होकर पिछले पांच दिनों से शिवपुरी जेल में बंद तहसीलदार अमिता सिंह तोमर पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. चंबल कमिश्नर सुरेश कुमार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई श्योपुर कलेक्टर अर्पित वर्मा की रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

दरअसल बड़ौदा तहसील में बाढ़ राहत राशि वितरण के दौरान करीब ढाई करोड़ रुपए के

गिरफ्तारी से एक दिन पहले ही कलेक्टर अर्पित वर्मा ने उन्हें पद से हटा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया. निलंबन के दौरान उन्हें नियमानुसार गुजारा भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय भी निर्धारित किया जाएगा, जहां उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी.

घोटाले का मामला सामने आया था. अमिता सिंह तोमर पर फर्जीवाड़ा कर अपात्र लोगों को मुआवजा बांटने के गंभीर आरोप हैं. इस मामले में उनके खिलाफ पुलिस केस दर्ज है और जांच जारी है.

26 मार्च को बड़ौदा बाढ़ राहत घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए श्योपुर की बड़ौदा पुलिस ने अमिता सिंह तोमर को ग्वालियर स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था. उन्हें न्यायिक हिरासत में शिवपुरी जेल भेज दिया गया, जहां वे पिछले पांच दिनों से बंद हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है. अमिता सिंह तोमर श्योपुर जिले के विजयपुर में तहसीलदार के पद पर पदस्थ थीं.

भोपाल के खनन कारोबारी पर एफआईआर

जबलपुर, 2 अप्रैल. मझगवां थाना अंतर्गत ग्राम गिदुरहा में आयरन ओर (लोह अयस्क) के अवैध उत्खनन मामले में भोपाल निवासी विजय पटेल के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम गिदुरहा तहसील सिहोरा की भूमि खसरा नंबर 708 के करीब 1.81 हेक्टेयर रकबे में आयरन ओर का अवैध उत्खनन किया जा रहा था. इसकी सूचना मिलते ही बीते 24 मार्च 2026 को नायब तहसीलदार सिहोरा द्वारा मौके पर छापामार कार्रवाई की गई थी. जांच के दौरान अवैध खनन स्थल पर पोकलेन मशीन लोह अयस्क की खुदाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी.

एचईजी लिमिटेड

CIN : L23109MP1972PLC008290

पंजीकृत कार्यालय: मंडीदीप (भोपाल के निकट) जिला रायसेन–462046, (म. प्र.), फोन: 07480-233524, 233525; फैक्स: 07480-233522
कॉर्पोरेट कार्यालय: भीलवाड़ा टॉवर्स, ए-12, सेक्टर–1, नोएडा–201301, (उ.प्र.), फोन: 0120-4390300 (ईपीएबीएक्स) फैक्स: 0120-4277841
ई–मेल: heg.investor@lnjbhilwara.com; वेबसाइट: www.hegltd.com

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच, डिविजन बेंच के समक्ष

सीए(सीएए)/01/एमपी/2026

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 एवं अन्य लागू प्रावधानों के मामले में

तथा

एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना के मामले में

एचईजी लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है, जिसकी कॉर्पोरेट पहचान संख्या सीआईएन: L23109MP1972PLC008290 है, और इसका पंजीकृत कार्यालय मंडीदीप, भोपाल के नजदीक, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश – 462 046, भारत स्थित है। .... कंपनी/ विविलयित कंपनी / हस्तांतरिती कंपनी

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकों की आहूत सूचना और सूचना का विज्ञापन

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि 26 मार्च, 2026 के एक आदेश **("ट्रिब्यूनल ऑर्डर")** के माध्यम से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल **("ट्रिब्यूनल")** की इंदौर बेंच ने एचईजी लिमिटेड एवं एचईजी ग्रेफाइट लिमिटेड एवं भीलवाड़ा एनर्जी लिमिटेड तथा उनके संबद्ध शेयरधारकों एवं लेनदारों के मध्य संयुक्त व्यवस्था की योजना **("योजना")** पर विचार, और उचित प्रतीत होने पर, संशोधन सहित अथवा उसके बिना अनुमोदन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 230 से 232 के अंतर्गत कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

ट्रिब्यूनल के आदेश एवं उसमें निहित निर्देशों के अनुसार, तथा अधिनियम के लागू प्रावधानों एवं अन्य लागू कानूनों के अनुपालन में, इसके अतिरिक्त सूचना दी जाती है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग **("वीसी")**/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों **("ओएवीएम")** द्वारा आयोजित होगी।

इसके अतिरिक्त, यह सूचित किया जाता है कि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक नीचे दिए गए तरीके से होंगी:

क्र. संख्या	संबद्ध	बैठकों का दिन एवं तिथि	बैठकों का समय
1.	इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	2:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
2.	सुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	3:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)
3.	असुरक्षित लेनदारों की बैठक	मंगलवार, 5 मई, 2026	4:30 बजे अपराह्न (आईएसटी)

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा कम्पनी (समझौते, व्यवस्था (ठहराव) और समामेलन) नियम, 2016 **("सीएए नियम")** के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज पहले ही इक्विटी शेयरधारकों (27 मार्च, 2026 तक अनुसार), सुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार) तथा असुरक्षित लेनदारों (31 दिसंबर, 2025 तक अनुसार), क्रमशः, को भेजे जा चुके हैं। कथित सूचना सहित संलग्न दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा (i) उन इक्विटी शेयरधारकों को, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं))/प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं, (ii) उन सभी सुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, एवं (iii) उन सभी असुरक्षित लेनदारों को जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं, को भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों, जिनके ईमेल पते कंपनी के पास उपलब्ध नहीं हैं या जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक मेल से आहूत बैठक की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, वे कंपनी की वेबसाइट www.hegltd.com से संबंधित सूचना अभिगमित या डाउनलोड कर सकते हैं।

उपरोक्त बैठकों की सूचना, योजना की प्रति, धारा 230 एवं 232 के साथ पठित धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण, एवं अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों तथा सीएए नियम के विनियम 6 सहित संलग्न दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट https://hegltd.com, एनएसडीएल, जो कंपनी द्वारा रिमोट ई-वोटिंग एवं बैठक में ई-वोटिंग तथा आहूत बैठक हेतु अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त एजेंसी है, की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, अर्थात् बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") अर्थात् www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ("एनएसई") अर्थात् www.nseindia.com पर भी उपलब्ध की गई है। यदि इच्छा हो, तो इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार सूचना एवं संलग्न दस्तावेज, अर्थात् योजना एवं धारा 230 के साथ पठित धारा 102 के अंतर्गत विवरण तथा धारा के अन्य लागू प्रावधानों तथा सीएए नियमों के नियमन 6 के अंतर्गत, भौतिक प्रति निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में कंपनी में शेयरधारिता के विवरण सहित एक लिखित आवेदन कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी को heg.investor@lnjbhilwara.com पर भेजा जा सकता है।

ट्रिब्यूनल ने कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की उपरोक्त बैठकों हेतु श्री रितेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता, को अध्यक्ष तथा संव्यावसायिक कंपनी सचिव श्री एस. आलम खान को संवीक्षक नियुक्त किया है। उपरोक्त योजना, यदि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की संबद्ध बैठकों में अनुमोदित की जाती है, तो यह ट्रिब्यूनल के अनुवर्ती अनुमोदन तथा अन्य नियामक या अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, अनुमति एवं संस्वीकृति के विषय-स्वरूप होगी, जो वांछित हो।

चूँकि कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हो रही हैं, अतः इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा संबंधित बैठकों हेतु उपलब्ध नहीं होगी।

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों और असुरक्षित लेनदारों के पास योजना को अनुमोदित करने हेतु संबंधित प्रस्तावों पर वोट देने की सुविधा एवं विकल्प होगा: (अ) वीडियो कॉन्फ्रेंस **("ई-वोटिंग")** के माध्यम से आयोजित होने वाली बैठकों में उपलब्ध ई-वोटिंग सिस्टम द्वारा; या (आ) नीचे बताए गए समय के दौरान रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग **("रिमोट ई-वोटिंग")** के द्वारा:

उपरोक्त बैठकों की ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि एवं रिमोट ई-वोटिंग की समयावधि नीचे दी गई है:

इक्विटी शेयरधारकों की बैठक	
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
सुरक्षित लेनदारों की बैठक	
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)
असुरक्षित लेनदारों की बैठक	
ई-वोटिंग हेतु कट-ऑफ तिथि	मंगलवार, 31 मार्च, 2026
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	शुक्रवार, 1 मई, 2026 9:00 बजे पूर्वाह्न (आईएसटी)
रिमोट ई-वोटिंग आरम्भ तिथि एवं समय	सोमवार, 4 मई, 2026 5:00 बजे अपराह्न (आईएसटी)

वह इक्विटी शेयरधारक जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं इक्विटी शेयरधारकों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। इक्विटी शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 28 अप्रैल, 2026 को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगा।

वह सुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के पास उपलब्ध सुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं सुरक्षित लेनदारों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। सुरक्षित लेनदार के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी पर बकाया राशि के अनुपात में होगा।

वह असुरक्षित लेनदार जिसका नाम कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी के पास उपलब्ध असुरक्षित लेनदारों की सूची में दर्ज है, मात्र वही सूचना में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठक में सम्मिलित होने हेतु अधिकृत होगा। असुरक्षित लेनदार के वोटिंग का अधिकार कट-ऑफ तिथि, अर्थात् मंगलवार, 31 मार्च, 2026 को कंपनी पर बकाया राशि के अनुपात में होगा।

इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार अपना वोट मात्र एक तरीके से ई-वोटिंग कर के डाल सकते हैं, अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग से या वीसी/ओएवीएम बैठक में ई-वोटिंग से। यदि वे रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प चुनते हैं, तो वे वीसी/ओएवीएम बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं, परंतु उन्हें बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। यदि वे दोनों तरीकों से वोट डालते हैं, तो रिमोट ई-वोटिंग से डाले गए वोट माने जाएँगे और वही प्रबल होंगे, और वीसी/ओएवीएम बैठक में डाले गए वोट अमान्य माने जाएँगे।

जिन इक्विटी शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी')/रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट्स ("आरटीए") के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि वे डीमैट मोड में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डीपी के साथ और भौतिक मोड में प्रतिरक्षित शेयरों के मामले में आरटीए को लिखकर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लें।

वे इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार जो योजना या उपरोक्त बैठकों में विचार किए जाने वाले मामले के विषय में कोई जानकारी चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैठक की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व – अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीमैट खाता संख्या (डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी)/फोलियो नंबर, ईमेल पता, पैन तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए – कंपनी को heg.scheme26@lnjbhilwara.com पर आवेदन लिखें।

ई-वोटिंग से जुड़े प्रश्नों के संबंध में, इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों हेतु फ्रीक्वेंटली आस्कड क्वेश्चन और शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित कर सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर सुश्री पल्लवी म्हात्रे, एवीपी, एनएसडीएल को अनुरोध भेज सकते हैं।

किसी अन्य प्रश्न हेतु, इक्विटी शेयरधारक/सुरक्षित लेनदार/असुरक्षित लेनदार बैठक की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व heg.scheme26@lnjbhilwara.com पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या (डीपी आईडी एवं क्लाइंट आईडी)/फोलियो नंबर, ईमेल पता, मोबाइल नंबर तथा पैन लिखकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्नों का कंपनी यथोचित उत्तर देगी।

हस्ताक्षर/–
रितेश कुमार शर्मा,
दिनांक: 02.04.2026 **कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों, सुरक्षित लेनदारों एवं असुरक्षित लेनदारों की बैठकों हेतु नियुक्त अध्यक्ष**